बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-06/2018 821 पटना, दिनांक 16/03/2020

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना,
प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना,
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी प्रबंध निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०,
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : **सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार प्राधिकार के पत्रांक 285 दिनांक 28.01.2020 की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र द्वारा आपको यह निदेश दिया गया था कि किसी भी समिति के चुनाव का प्रस्ताव प्राधिकार में भेजते समय अग्रसारण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 की कंडिका 5 (i) एवं 5 (ii) का अनुपालन कर लिया गया है। इस पत्र में यह हिदायत भी दी गयी थी कि यदि उक्त आशय का स्पष्ट उल्लेख अग्रसारण पत्र में नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में संबंधित समिति का निर्वाचन नहीं कराया जा सकेगा, इसकी सारी जवाबदेही संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी। इतने स्पष्ट निदेश के वाबजूद उक्त आशय का उल्लेख चुनाव का प्रस्ताव भेजने में नहीं किया जा रहा है, जिससे संबंधित समिति का चुनाव प्रभावित हो रहा है।

अभी भी जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है, उसमें या तो प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है या जिक्र किया भी जा रहा है, तो उसमें यह उल्लेख कर दिया जा रहा है कि समिति के पदधारक एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा अनुपालन करा लिया गया है, जबकि समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की जांच समिति के अभिलेखों से जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा स्वयं की जानी है और जांचोपरांत यह उल्लेख किया जाना है **कि प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 की कंडिका 5 (i) एवं 5 (ii) का अनुपालन कर लिया गया है।**

अत: पुन: अनुरोध है कि किसी भी समिति के चुनाव का प्रस्ताव प्राधिकार में भेजते समय अग्रसारण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 की कंडिका 5 (i) एवं 5 (ii) का अनुपालन कर लिया गया है। **यदि उक्त आशय का स्पष्ट उल्लेख अग्रसारण पत्र में नहीं किया जाता है, तो उसे निर्वाचन हेतु प्रस्ताव नहीं माना जाएगा और वैसी समितियों का चुनाव नहीं कराया जाएगा।** वैसी समितियों में निर्वाचन में होने वाले विलंब की जिम्मेदारी जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी। साथ ही यदि विलंब होगा, तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

विश्वासभाजन

16.2.20

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

BSEA Hall dt.13.03.2020_Rajesh

ज्ञापांक: 821 पटना, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.20

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 821 पटना, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.20

संयुक्त सचिव।

BSEA Hall dt.13.03.2020_Rajesh